फर्द अहकाम

गजावीर सिंह

बनाम दुर्गी वगै.

न्यायालय का नाम :—उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

केस सं. /202.......

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	16.7.25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 18/7/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जयपुर	
	18/7/25	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक संघ ने कार्य स्थगित रखा है। अत: पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि.25.7.25 को पेश हो।	
	25.7.25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्ते पुन: बहस दिनांक 20/8/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जयपुर	
	20.8.25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र एक तरफा सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 21/8/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जयपुर	
	21.8.25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र पूर्व में सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का ही दोहराव करते हुए अप्रार्थीगण को दौराने वाद मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति कायम रखने हेतु पाबंद करने हेतु निवेदन किया। बहस अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया गया एवं पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में निहित है। यदि अप्रार्थीगण द्वारा दौराने वाद	

उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जयपुर

वादग्रस्त आराजी का अन्यत्र बेचान किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होगी तथा वाद बहुलता बढ़ने की स्थिति में असुविधा भी प्रार्थी को ही होगी। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण, अपूर्णीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के ही निहीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.A. स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अत: प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.A स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 लगा० 06 को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि खसरा नं. 223/9 रकबा 7.4606 है. वाके ग्राम जोहरवाडा तह. जोबनेर के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति तायफेसला वाद तक कायम रखे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली कौसल कुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Nehe
उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जयपुर